Lecture No - 04

Name of the college - A.P.S.M. College, Barauni, Begusarai
L.N.M.U Darbhanga

Name - Dr. Bharti Kumari (G.T)
Deptt - A.I.H. & C

Lession / plan B.A Part II (H) A.I.H. & C Paper III

Name of topic - Administration system of Gupt Period

Date - 18-06-21

गुप्तकालीन शासन पद्धति का पता फाह्यान की यात्रा से चलता है। फाह्यान ने लिखा है - "कि शासन में प्रजा की ओर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता था।"

इस काल में होने वाले अपराधों की संख्या बहुत ही कम थी, जिसके कारण नियम भी अधिक कठिन नहीं थे। गुप्त शासन अप्रत्यक्ष होने के साथ - साथ निम्न प्रकार से विभाजित था।

(1) राजा द्वारा शासित प्रदेश विधियों एवं विभक्तियों में बँटे थे।

(2) गुप्तकाल में प्रजातंत्र शासन भी आता था।

(3) ऐसे राज्य, जिन्होंने गुप्त सम्राटों का आधिपत्य स्वीकार किया था।

(4) गुप्त - राजाओं की सीमा वाले देश भी कर दिया करते थे एवं उनकी आज्ञाओं का भी पालन किया करते थे।

(5) गुप्त सम्राटों की मित्रता चाहने वाले

P.t.o.

राज्य गुप्त सम्राटों के समक्ष अपनी पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव रखते थें। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बदले में उन्हें अपने क्षेत्र में शासन करने के अधिकार - पत्र मिल जाते है, ऐसे सामन्ती सरदार साम्राज्य के विभिन्न भागो मे थें।

(६) गुप्तकाल में अन्य विशेष महत्वपूर्ण घटना यह थी कि पुरोहितों और प्रशासकों को कर - सम्बंधी तथा प्रशासनिक रियायतें भी दी जाती थी। लाभ - भोगी भूमि अनुदान प्रायः वंशानुगत थें। इन लाभ - भोगियों को कर एकत्र करने के साथ - साथ अपराधियों को दण्ड देने का अधिकार भी था। गुप्त सम्राटों ने खानें और नमक भण्डारों को अपना प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप सत्ता के छोटे - छोटे केन्द्र बन गए थें केन्द्र के कमजोर पड़ जाने पर ये स्वतंत्र हो गए। भारत के प्राचीन इतिहास में भूमि अनुदान का अध्ययन महत्वपूर्ण है। गुप्तकाल के भूमि अनुदान और भूमि नीति को आधार बनाकर अनेक इतिहासकारों ने सामन्तवाद सर्फ और बेगार जैसे विषयों पर बहुत कुछ लिखा है। गुप्त शासन शासन प्रबंधक सम्राटें की मित्रता चाहते थें।

(ii) केन्द्रीय शासन :- केन्द्रीय शासन राजतंत्रात्मक था। राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि हुआ करती थी और गुप्त सम्राट अपने को विभिन्न पदवियों से, जैo - महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि से सुशोभित करते थें। सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों का चयन राजा द्वारा ही किया जाता था, लेकिन राजा विशेष अधिकारों का स्वामी होते हुए भी स्वयं को नैतिक बंधनों में बंधा रहता था। राजा शासन का संचालन अपने मंत्रियों की सलाह से करता था। इस काल में राजा

P.T.O.

द्वारा ही किया जाता था। लेकिन राजा विशेष अधिकारों का स्वामी होते हुए भी स्वयं को नैतिक बंधनों में बँधा रहता था। राजा शासन का संचालन अपने मंत्रियों की सलाह से करता था। इस काल में राजा द्वारा ग्राम पंचायतों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम किया जाता था, क्योंकि ग्राम पंचायतों एवं नगर सभाओं को स्वयं ही काफी अधिकार प्रदान किये गये थे। इस तरह राजा को काफी अधिकार प्राप्त होने के बावजूद अन्य संस्थाओं के भी शासन-प्रबंध में भागीदारी होने का अधिकार प्राप्त था। इस काल के साहित्य इस बात के द्योतक हैं कि शासन प्रबंध का आधार लोक-कल्याण ही है।

(2) मंत्रीपरिषद :-

गुप्तकाल में मंत्रिमंडल के सदस्य सभी विषयों के महान ज्ञाता होते थे; जो कि राजा को शासन-संचालन में सहयोग प्रदान करते थे। मन्त्रिमंडल की नियुक्ति स्वयं राजा ही करता था। केन्द्रीय शासन के निम्नलिखित विभाग थे।

(1) महासेनापति
(2) महादंडनायक
(3) रणभण्डारिक
(4) दण्डपाशिक
(5) महासन्धिविग्रहिका
(6) भाण्डागाराधिकृत
(7) विनयस्थिति स्थापक
(8) महाप्रतिहारिक
(9) सर्वाध्यक्ष

P.t.o.

Scanned with CamScanner

(1) महासेनापति → इसका कार्य सीमान्त प्रदेशों में सैन्य संचालन था।

(2) महादण्डनायक → युद्ध के संचालन हेतु महासेनापति के अधीन एक महादंडनायक होता था।

(3) रणभण्डारिक → छावनी और सेना विभाग देखभाल रणभण्डारिक करते थे।

(4) दण्डपाशिक :→ पुलिस के सर्वोच्च पदाधिकारी को दण्डपाशिक कहते थे।

(5) महासन्धिविग्रहिका → शासन की नीति निर्धारण में अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ अधिकारी विदेशों से सन्धि करने का कार्य संभालता था।

(6) भाण्डागाराधिकृत :→ कोष के समस्त मामलों में इनके निर्णय को ही महत्वपूर्ण माना जाता था।

(7) विनयस्थितिस्थापक :→ जनता को चरित्रवान बनाने एवं धर्म-नीति की स्थापना जैसे कार्य को संभालने के साथ ये धर्म विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे।

(8) महापसपटलिक → राज्य के समस्त आदेशों को जारी रखने के साथ-साथ यह अधिकारी ही सम्पूर्ण राज्य के आय-व्यय का हिसाब-किताब रखता था।

(9) सर्वाध्यक्ष → इस विभाग में किसी राजकुमार अथवा चरित्रवान अच्छे व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। क्योंकि इस विभाग का कार्य गुप्त शासन के प्रत्येक क्षेत्र के कार्यों की देखभाल करना होता था। इसीलिए इस विभाग को बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी माना जाता था।

भारती कुमारी
A.I.H.&C
Date-18-06-21

Scanned with CamScanner